राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन नं: 0141–2709114
email : rajssa _cmecce@yahoo.com
फैक्स: 0141–2701822

क्रमांक : 15(31) रा.स्कू.शि.प /जय/सामु.गति./प्रबंधन मद/दिशा निर्देश/2018–19/ 5406 दिनांक : 27/8/18

दिशा निर्देश

(सत्र 2018–19)

ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला

प्रस्तावना :–

राज्य के समस्त ब्लॉक में विद्यालय प्रबंधन समितियों/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समितियों का सशक्तीकरण करने एवं समुदाय को जागरूक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियो एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्षों को सामुदायिक गतिशीलता के उद्देश्य, महत्व एवं चुनौतियों के बारे में अवगत कराया जाये। इसके अतिरिक्त इनमे से अनेक ब्लॉक स्तरीय अधिकारीं, स्थानीय प्राधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्ष समुदाय से घनिष्ठ सम्पर्क रखते हैं। वे उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं के बारे में काफी ज्ञान रखते हैं। ऐसे अधिकारीं, स्थानीय प्राधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्ष कार्यशाला में समुदाय को गतिशील बनाने की विधियां को ओर अधिक परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण सुझाव एवं विचार दे सकते हैं। स्थानीय परिस्थतियों के कारण उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्षों का क्षमता विकास करना इन ब्लॉकों में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समुदाय की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने हेतु वर्ष 2018–19 में समग्र शिक्षा अभियान के सामुदायिक गतिशीलता मद के उपमद मीडिया एवं सामुदायिक गतिशीलता प्रावधित बजट से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्षों के साथ ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का प्रावधान रखा गया है। ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला 50 संभागियों के लिए है। प्रति संभागी यूनिट कॉस्ट ₹ 150/– रूपये रखी गई है। अर्थात 50 संभागियों के लिए ₹ 7,500/– रूपये तक व्यय का प्रावधान रखा गया है।

कार्यशाला में चुने हुए जन प्रतिनिधि यथा–प्रधान, उप प्रधान, पार्षद एवं पंचायत समिति सदस्य आदि संभागी होंगे। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी यथा – विकास अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, ब्लॉक मुख्यालय पीईईओ/प्रिसिंपल/प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय एवं एसएमसी/एसडीएमसी के अध्यक्ष आदि। इसके अलावा यदि संभागियों की संख्या 50 तक पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में कुछ अन्य ऐसे ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को भी कार्यशाला में आमंत्रित किया जा सकता है जो कि शिक्षा में प्रत्यक्ष/परोक्ष योगदान दे सकते है।

www.rajteachers.com

ब्लॉक कार्यशाला पर होने वाले व्यय को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है।

क्र सं.	विवरण	ब्लॉक स्तर पर 50 संभागियों हेतु व्यय प्रावधान
1.	भोजन 80/- प्रति सम्भागी की दर से	4000.00
2	जलपान (चाय-नाशता) 20/-रूपये प्रति व्यक्ति	1000.00
3.	स्टेशनरी 10 रूपये प्रति व्यक्ति	500.00
4	संदर्भ व्यक्ति मानदेय 2 संदर्भ व्यक्तियों के लिए 400/ परियोजना कार्मिक के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ को आमंत्रित करने पर	800.00
5.	विडियोग्राफी/फोटोग्राफी/प्रतिवेदन/रिपोर्टिंग	500.00
6.	कार्यक्रम की व्यवस्था पर होने वाले अन्य विविध व्यय	700.00
	योग	**7,500.00**

- उपरोक्त व्यय संभावित है। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यक्रम प्रभारी जिला परियोजना समन्वयक की स्वीकृति से निर्धारित इकाई लागत तक आवश्यक संशोधन कर व्यय कर सकता है। कार्यशाला में निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।
- कार्यशाला के आयोजन की सम्पूर्ण व्यवस्था जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वय के नेतृत्व में अति० जिला परियोजना समन्वयक द्वारा एवं ब्लॉक स्तर पर बीईईओ. के नेतृत्व में कार्यक्रम प्रभारी संदर्भ व्यक्ति द्वारा की जायेगी।
- कार्यशाला में भाग लेने वाले विशेषज्ञों/सन्दर्भ व्यक्तियों, जो जिला मुख्यालय से बाहर से आयेंगे, को बस/रेल किराये का भुगतान जिला प्रबन्धन मद से किया जा सकेगा।
- कार्यशाला में परियोजना कार्मिकों के अतिरिक्त आमंत्रित विशेषज्ञों को ₹ 400/- रूपये प्रतिदिन मानदेय देय होगा।

कार्यशाला आयोजन हेतु निम्नांकित तैयारियाँ करें :-

- स्थान का चयन, कार्यशाला की आवश्यकता एवं जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों की संख्या तथा सुविधा को ध्यान मे रखते हुए किया जाए।
- कार्यशाला के आयोजन हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं ब्लॉक स्तर पर प्रधान/विकास अधिकारी की सहमति से कार्यक्रम की तिथियों का निर्धारण।
- कार्यशाला के संभागियों का चयन एवं समय पर उनको सूचना भिजवाना।
- कार्यशाला आयोजन के पश्चात् कार्यशाला का **कार्यवृत्त/प्रतिवेदन तैयार कर प्रसारित** किया जावें तथा कार्यक्रम के आधार पर किये गये **निर्णयों/सिफारिशों की क्रियान्विति** हेतु परिपत्र/आदेश का प्रारूप तैयार कर **सक्षम स्वीकृति के पश्चात जारी किया** जावे। **प्रतिवेदन की प्रति परिषद्** कार्यालय को भी भिजवायें।
- राज्य स्तर पर एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु तैयार किये गये केआरपी में से दो व्यक्तियों को सदंर्भ व्यक्ति के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है।
- जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला फरवरी 2019 तक आवश्यक रूप से की जावे।
- कार्यशाला का समय प्रातः 10 से सायं 6.00 बजे तक होगा।

www.rajteachers.com

आमुखीकरण कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जा सकती है :–

- विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, अधिकार एवं कर्त्तव्य।
- आरटीई एक्ट–2009 के मुख्य प्रावधान।
- शिकायत निवारण तंत्र।
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण।
- समसा की विभिन्न गतिविधियाँ एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किये जा रहे विभिन्न नवाचार आदि।
- स्वच्छ भारत अभियान में समुदाय एवं अधिकारियों की भूमिका।
- "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम में समुदाय एवं अधिकारियों की भूमिका।
- बाल अधिकार।
- मिड–डे–मील।

इसके अतिरिक्त शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थानीय परिस्थितियों के कारण कुछ विशिष्ट चुनौतियां तथा मुददे हो सकते हैं। कार्यशाला में चर्चा के दौरान इनको भी अपेक्षित स्थान दिया जाये।

इन गतिविधियों के आयोजन हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

- गतिविधियों के आयोजन हेतु सामग्री का क्रय व अन्य व्यवस्था नियमानुसार क्रय प्रक्रिया अपनाकर किया जावे।
- आयोजन हेतु व्यय का भुगतान चैक अथवा बैंक खाते में किया जावे।
- जिला परियोजना कार्यालय इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक गतिविधि हेतु किए गए व्यय का समायोजन गतिविधि समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी से करवाना सुनिश्चित किया जाए।
- मद अनुसार निर्धारित बजट से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जावे। अधिक व्यय किए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जावेगी।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : 15(31) रा.स्कू.शि.प /जय/सामु.गति./प्रबंधन मद/दिशा निर्देश/2018–19/5407 दिनांक : 27/8/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज. स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, राज. स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर।
3. नियत्रंक वित्त, राज. स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त–जिला।
5. उपायुक्त (प्लान)/मॉनिटरिंग, राज. स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर।
6. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज. स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि./मा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक।
8. रक्षित पत्रावली।

24/8/18

(रामनिवास जाट)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com

S.N	District	Block Level Awareness for 301 EBBs	
		50 persons per EBBs @ Rs.150/- per person.	
		Target	
		Phy.	Fin. (in lakhs)
1	Ajmer	9	0.675
2	Alwar	14	1.05
3	Banswara	11	0.825
4	Baran	7	0.525
5	Barmer	17	1.275
6	Bharatpur	10	0.75
7	Bhilwara	12	0.9
8	Bikaner	7	0.525
9	Bundi	5	0.375
10	Chittaurgarh	11	0.825
11	Churu	7	0.525
12	Dausa	6	0.45
13	Dhaulpur	5	0.375
14	Dungarpur	10	0.75
15	Ganganagar	9	0.675
16	Hanumangarh	7	0.525
17	Jaipur	19	1.425
18	Jaisalmer	3	0.225
19	Jalor	8	0.6
20	Jhalawar	8	0.6
21	Jhunjhunu	8	0.6
22	Jodhpur	17	1.275
23	karauli	6	0.45
24	Kota	6	0.45
25	Nagaur	14	1.05
26	Pali	10	0.75
27	Pratapgarh	5	0.375
28	Rajsamand	7	0.525
29	Sawi Madhopur	6	0.45
30	Sikar	9	0.675
31	Sirohi	5	0.375
32	Tonk	6	0.45
33	Udaipur	17	1.275
	Total	**301**	**22.575**

www.rajteachers.com